न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 22/2025

श्री विकम सिंह निवासी ग्राम कुंजलाबास पोस्ट रावतसर कुंजला जिला चुरू राज0
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांकः- 01.04.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

दयाराम मीना पिता श्री मदन लाल मीना अध्यापक लेवल-प्रथम (संस्कृत शिक्षा) राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सूरतरामपुरा, पोस्ट-करेड़ा बुजुर्ग, त.-निवाई, जिला-टोंक में कार्यरत के बारे में निम्नांकित सूचना चाहने बाबत।

1 उक्त प्रार्थी का जोइनिंग लेटर की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।

2 उक्त दयाराम मीना पिता श्री मदन लाल मीना द्वारा नियुक्ति के समय देय दहेज़ उद्घोषणा प्रमाण पत्र की फ़ोटो प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।

3 पिछले 1 जुलाई 2024 से 10 जनवरी 2025 तक की उपस्थिति पंजिका की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।

4 प्रश्न संख्या 3 में उल्लेखित दिनांक के मध्य DL, CL, OL किस किस दिनांक को दी गई है उनकी सत्यापित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करावें ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 396 दिनांक 12.03.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 325 दिनांक 20.03.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिनांक 10.01.2025 को अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर पूर्व अति0 जिला कलेक्टर श्री मुरारीलाल शर्मा के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है, जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 326-27 दिनांक 20.03.2025 से सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के प्रथम अपीलेट अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नही है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

न्यायालय जिला कलेक्टर 637

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)